

कार्यालय, वनमण्डलाधिकारी, पश्चिम बैतूल (सा०) वनमण्डल,

07141-234708(कार्यालय), E-Mail -- dfotwbetul@mp.gov.in

पृष्ठांक / स्टोर / 2025 / 2938

प्रति.

बैतूल, दिनांक 16/07/2025

उप संचालक {विज्ञापन},
जनसंपर्क संचालनालय,
जनसंपर्क परिसर,
बाणगंगा, भोपाल [म०प्र०]

विषय :- ई-निविदा सूचना का प्रकाशन।

- ० -

विषयांतर्गत लेख है कि पश्चिम बैतूल (सा०) वनमण्डल के अंतर्गत विभागीय कार्या हेतु दरवाजे, खिड़की, चौखटे इत्यादि सामग्री हेतु ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 32 / ई-टेंडरिंग/2025-26 दिनांक 16/07/2025 से निविदा आमंत्रित की गई है।

अतः दिनांक 25.07.2025 के पूर्व प्रदेश के मुख्य समाचार/स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञाप्ति का प्रकाशन करने का कष्ट करें। विज्ञापन की एक प्रति पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

संलग्न :- विज्ञप्ति की प्रति।


पृष्ठांक / महीना / 2025 / 2939

प्रतिलिपि :- 1- मुख्य वनसंरक्षक, बैतूल वृत्त, बैतूल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2- जन संपर्क अधिकारी बैतूल,

संलग्न :- विज्ञप्ति की 1 प्रति।

3- समर्त उप वनमण्डलाधिकारी/परिक्षेत्राधिकारी पश्चिम बैतूल(सा०) की ओर सूचनार्थ।
संलग्न :- विज्ञप्ति की 1 प्रति।


वनमण्डलाधिकारी,
पश्चिम बैतूल सामान्य वनमण्डल
बैतूल, दिनांक 16/07/2025


वनमण्डलाधिकारी,
पश्चिम बैतूल सामान्य वनमण्डल
F

निविदा की शर्तें हेतु मार्गदर्शित प्रारूप (Draft)

विषय - गूची

खंड-सं.	विवरण	पेज
खंड-I	ई-निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)	3-4
खंड-II	निविदा दाता को निर्देश (आईटीबी)	3-12
	ए. महत्वपूर्ण तिथियां/सामान्य जानकारी	3-4
	बी. निविदा दस्तावेज	5-6
	सी. निविदा खोलना और उसका मूल्यांकन	6
	डी. अनुबंध प्रदान करना	07-08
	ई. अन्य नियम और शर्तें	08
अनुलग्नक 1 से 7		09-14

खंड -I

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

मध्यप्रदेश शारान

कार्यालय – पश्चिम बैतूल (सा०) वनमंडल मध्य प्रदेश

ई-निविदा आमंत्रण सूचना ३२ / ई-टेंडरिंग / 2025-26 दिनांक १५।०७।२०२५

- वनमंडलाधिकारी, पश्चिमबैतूल(सा०) वनमंडल द्वारा ०४०० भंडार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम २०१५ (यथासंशोधित-२०२२) के अंतर्गत निम्नलिखित सामग्री के क्रय हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र.	सामग्री का विवरण	सामग्री का नाम/स्पेसीफिकेशन	अनुमानित मात्रा	सत्यंकार की निधि (रु. में)	निविदा दस्तावेजों का मूल्य
1	एल्युमिनियम रस्लाइडिंग विंडो	एल्युमिनियम स्लाइडिंग विंडो कम्पलीट ISI मार्क (मोटाई 3mm)	1100 Sq. Feet	10000	1000/-
2	दरवाजे/खिड़की की चौखटें	दरवाजे/खिड़की की चौखटें (Poly PVC से निर्मित) होल पास सहित	50 Nos.	5000	
3	लकड़ी के दरवाजेपल्ले	लकड़ी के दरवाजेपल्ले (हेण्डल, एलड्राप, चटकनी, डोर स्टापर, कब्जे इत्यादि सहित)	50 Nos.	6300	
4	लेमिनेटेड फलश डोर पल्ले	लेमिनेटेड फलश डोर पल्ले (मोटाई 30 m.m.) हेण्डल, एलड्राप, चटकनी डोर स्टापर कब्जे इत्यादि सहित	30 Nos.	5000	

1-निविदा दस्तावेज से संबंधित सभी विवरण ई-प्रोक्रियोरमेंट पोर्टल पर निःशुल्क देखे और डाउनलोड किए जा सकते हैं।

2-इच्छुक निविदाकार क्रेडिट/डेबिट/कैश कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पोर्टल शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करने के बाद निविदा दस्तावेज को ई-प्रोक्रियोरमेंट पोर्टल पर (दिनांक) 21-07-2025 बजे 06:00 PM से निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय तक केवल ऑनलाईन खरीद सकते हैं।

3-ई-प्रोक्रियोरमेंट पोर्टल पर महत्वपूर्ण तिथियों के रूप में उल्लिखित निविदा प्रक्रिया तिथियां लागू होंगी।

4-ई-निविदा आमंत्रण सूचना में शुद्धिपत्र/परिशिष्ट, यदि कोई हो केवल पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा, समाचार पत्रों में नहीं।

5-ई-प्रोक्रियोरमेंट पोर्टल - <https://www.mptenders.gov.in/>

क्र.	जानकारी	विवरण
1	निविदा प्रारंभ करने की तिथि	21.07.2025 दोपहर 06.00 बजे
2	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	04.08.2025 शाम 06:00 बजे
3	प्राप्त तकनीकी प्रत्यावर्ती को खोलने का समय और तिथि	06.08.2025 शाम 06:00 बजे
4	प्राप्त वित्तीय प्रत्यावर्ती को खोलने का समय और तिथि	07.08.2025 शाम 06:00 बजे
5	जमा करने का प्रकार	ऑनलाईन जमा https://www.mptenders.gov.in/ पर करें


 वनमंडलाधिकारी
 पश्चिम बैतूल (सा०) वनमंडल

खंड -II

निविदाकारों के लिए निर्देश (आईटीवी)

मध्यप्रदेश शारान

अ. महत्वपूर्ण तिथियां / सामान्य जानकारी

क्र.	जानकारी	विवरण
1	सांकेतिक विवरण	पश्चिम बैतूल में किये जाने वाले वानिकी/गिर्माण कार्यों के लिए गण्डार रामगढ़ी क्रय करने हेतु दरों की नियम
2	ई-निविदा आमत्रण सूचना संख्या	ई-निविदा आमत्रण सूचना संख्या.....32...../ई-ट्रेडिंग/2025-26/ दिनांक 16.10.2025
3	निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज की लागत	1,000/- प्रोरोसिंग शुल्क (पोर्टल द्वारा खबालित रूप से निर्धारित)
4	सत्याकार निधि	ल्युमिनियम स्लाईडिंग विंडो -10000/- दरवाजे/खिड़की की चौखटें - 5000/- लकड़ी के दरवाजे पल्ले - 6300/- लेमिनेटेड फलश डोर पल्ले - 5000/-
5	निविदा प्रस्ताव की वैधता	उस वित्तीय वर्ष के भीतर जिसमें वनमण्डलाधिकारी पश्चिम बैतूल वनमण्डल द्वारा निविदा आमत्रित की गई है।
6	निष्पादन सुरक्षा	ल्युमिनियम रलाईडिंग विंडो -10000/- दरवाजे/खिड़की की चौखटें - 5000/- लकड़ी के दरवाजे पल्ले - 6300/- लेमिनेटेड फलश डोर पल्ले - 5000/-
7	अनुमानित निविदा मूल्य	एल्युमिनियम स्लाईडिंग विंडो -3,40,000/- दरवाजे/खिड़की की चौखटें -1,75,000/- लकड़ी के दरवाजे पल्ले -2,10,000/- लेमिनेटेड फलश डोर पल्ले -1,65,000/-

1. निविदा की स्वीकृत दरों की वैधता सफल निविदाकार और वनमण्डलाधिकारी पश्चिम बैतूल (सा०) वनमण्डल के बीच आपसी सहमति के अधीन 90 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है।

2. निविदा में उल्लेखित की गई वस्तुओं की संभावित मात्रा सफल निविदाकार और वनमण्डलाधिकारी पश्चिमबैतूल (सा०) वनमण्डल के बीच आपसी सहमति के अधीन बदली जा सकती है।

3. वनमण्डलाधिकारी पश्चिम बैतूल (सा०) वनमण्डल (निविदाकर्ता) किसी भी समय और बिना कोई कारण बताए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर०एफ०पी०) प्रक्रिया को नमास कर सकता है। निविदाकर्ता कोई भी स्पष्ट या निहित प्रतिबद्धता नहीं करता है कि इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप विस्तीर्ण के माथ कोई व्यापारिक लेनदेन होगा। यह प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर०एफ०पी०) निविदाकर्ता द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं है। इस प्रक्रिया में निविदाकर्ता, निविदाकार की भागीदारी के परिणामस्वरूप, निविदाकार से और जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकता है। हालांकि, निविदाकर्ता विस्तीर्ण की भी समय बिना कोई कारण बताए इस प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है।

4. प्रति निविदाकार एक निविदा:

4.1 निविदाकार एक व्यक्तिगत इकाई या संयुक्त उद्यम हो सकता है। संयुक्त उद्यम की आवश्यकता अनुलग्न 6 में दी गई है।

4.2 कोई भी निविदाकार संयुक्त रूप में या अलग-अलग एक से अधिक निविदायें प्रस्तुत करने का हकदार नहीं होगा। यदि वह ऐसा करता है, तो निविदाकार द्वारा भाग ली गई सभी निविदायें अयोग्य मानी जाएँगी।

5. निविदाकार को अपनी निविदा तैयार करने और प्रस्तुत करने से जुड़े सभी खर्चें वहन करना होगा, और इसके लिए सरकार पर कोई भी दावा नहीं किया जाएगा।

6. निविदाकार यो सलाह दी जाती है कि यह कार्य/आपूर्ति स्थल और उगेके आस-पास का दौरा करें और निरीक्षण करें तथा निविदा तैयार करने और अनुबंध में प्रवेश करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी अपनी जिम्मेदारी पर प्राप्त करें। इस संबंध में सभी खर्चें निविदाकार को वहन करना होगा।

वनमण्डलाधिकारी
पश्चिम बैतूल (सा०) वनमण्डल

(v) निविदा दस्तावेज

7. निविदाकारों द्वारा अपनी निविदा के माथ नियमित दस्तावेज अपलोड करने होंगे:-
- जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र
 - पैन कार्ड
 - पिछले 3 विच्चीय कार्यों के आयकर रिटर्न
 - 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर पूरा अनुबमक - 1
 - पूरा अनुबमक - 2
 - पूरा अनुबमक - 3
 - भीए प्रमाणित टर्नओवर प्रमाणपत्र
 - दुकानें और प्रतिष्ठान पंजीकरण
 - 'एमएमई प्रमाणपत्र' यदि ईएमडी छूट मांगी गई है
 - 'स्टार्टअप इंडिया प्रमाणपत्र' यदि वार्षिक औसत टर्नओवर या/और पिछले अनुभव से छूट मांगी गई है (अनुलग्नक 4 - खंड (1) और (11))
8. निविदाकार से निविदा दस्तावेज के सभी निर्देशों और शर्तों की गावधानीपूर्वक जांच करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा न करने पर निविदाकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
9. निविदा पूर्व बैठक (जहां लागू हो)

जहां भी निविदा दस्तावेज में निविदा पूर्व बैठक का प्रावधान है:

- ई-निविदा आमंत्रण सूचना में स्थान, तिथि और समय का उल्लेख किया जाएगा। निविदा पूर्व बैठक के कार्यक्रम में कोई भी बदलाव केवल वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा, और निविदाकारों को अलग से सूचित नहीं किया जाएगा।
- कोई भी संभावित निविदाकार निविदा पूर्व बैठक से पहले या उसके दौरान लिखित रूप में अपने प्रश्न उठा सकता है अथवा स्पष्टीकरण मांग सकता है। ऐसी बैठक का उद्देश्य मुद्दों को स्पष्ट करना और उस चरण में उठाए जाने वाले किसी भी मामले पर मवालों के जवाब देना है।
- निविदा पूर्व बैठक का कार्य विवरण जिसमें उठाए गए प्रश्नों का सार और दिए गए उत्तर तथा बैठक के बाद तैयार किए गए क्रिमी भी उत्तर को शामिल किया जाएगा, वेबसाइट पर प्रस्तुत किया जाएगा।
- निविदा पूर्व बैठक के बाद यदि निविदाकर्ता निविदा दस्तावेज में संशोधन करना आवश्यक समझता है, तो यह ऑनलाइन ई-निविदा आमंत्रण सूचना में संशोधन जारी करके किया जाएगा।

10. सत्यांकार निधि (ईएमडी)

- सत्यांकार निधि की गणना मध्य प्रदेश भाण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित - 2022) के नियम 14 के अनुरूप की जानी है।
 - सत्यांकार निधि, निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज का मूल्य और प्रसंस्करण शुल्क ई-खरीद पोर्टल पर ऑनलाइन जमा किया जाएगा। ऑफलाइन जमा करना मान्य नहीं होगा। (उपर्युक्त नियमों के खंड 14.1 के अनुसार)
 - सफल सत्यांकार निधि जमा करने की रसीद की रूपानि की गई प्रति निविदा के साथ शामिल की जानी चाहिए।
 - अमाफल निविदाकारों की सत्यांकार निधि यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी। (उपर्युक्त नियमों के खंड 14.2 के अनुसार)
 - सत्यांकार निधि जब्त की जा सकती है:
- 10.5.1 यदि निविदाकार, निविदा वैधता अवधि या इसकी विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, के दौरान अपनी निविदा वापस ले सेता है या उद्धृत मूल्य में वृद्धि करता है:

या

निविदा प्रक्रिया के दौरान, यदि निविदाकार जानबूझकर ऐसा कोई कार्य करता है जिससे निविदा के मूल्यांकन और निविदा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में जोखिम या अनावश्यक रूप से देरी हो;

या

सफल निविदाकार के मामले में, यदि निविदाकार, निविदाकर्ता द्वारा कार्य आदेश जारी करने के 15 दिनों के भीतर निष्पादन सुरक्षा राशि जमा करने में विफल रहता है;

या

निविदा प्रक्रिया के दौरान यदि निविदा में कोई जानकारी गलत / हेरोफेर / छिपी हुई पाई जाती है।

- सत्यांकार निधि जब्त करने और निविदा को अस्वीकार करने के बीच में निविदाकर्ता का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी परिस्थिति में उग पर मवाल नहीं उठाया जाएगा।

- संपूर्ण निविदा प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से तीन-वर्ष प्रणाली में ऑफलाइन होगी। इस निविदा सूचना के संबंध में सभी अधिसूचनाएं और विस्तृत नियम एवं शर्तें वेबसाइट पर ऑफलाइन प्रकाशित की जाएंगी।

- निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने और निविदाओं को ऑफलाइन प्रस्तुत करने तथा निविदा खोलने की प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

- पूर्व-योग्यता मापदंड अनुलग्नक 4 में दिए गए हैं। निविदाकारों को अपने पूर्व-योग्यता, तकनीकी और वाणिज्यिक प्रत्यावरों पर आवश्यक जानकारी केवल संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करनी होगी। प्रारूप में कोई भी विचलन निविदा को अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी बना

मतका है। पूर्व-योग्यता या तकनीकी निवाके में निविदा की वाणिजिक जानकारी का युलामा निविदा को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार होगा।

14. तकनीकी निविदा पोर्टल पर अॅनलाइन खोली जाएंगी।

15. वाणिजिक निविदा के अलावा निविदा के किसी भी भाग में निविदा की कीमतों का उल्लेख नहीं होना चाहिए।

16. निविदाकार को वाणिजिक निविदा अॅनलाइन अपलोड करनी चाहिए और पोर्टल पर दिए गए विवरों की मात्रा (वीओक्यू) के अनुगार अपलोड करनी चाहिए।

17. निविदा मूल्य में लोडिंग, परिवहन, अनलोडिंग और स्टैकिंग (यदि आवश्यक हो) में शामिल लागत शामिल होगी। निविदाकार बनमण्डलाधिकारी द्वारा निर्देशित किसी भी स्थान पर सामग्री के परिवहन के लिए उत्तरदायी होंगे, जो कि बनमण्डल की भौगोलिक सीमा तक होगा। निविदा मूल्य में जीएसटी, अन्य गभी कर और शुल्क शामिल होंगे और यह भारतीय रुपये में होगा।

18. सभी संभावित निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे पथिग्र वैतूल (गा०) बनमण्डल के अंतर्गत आने वाले थेट्र का दीरा करें और वार्षिक स्थितियों से खुद को परिचित करें। इस संबंध में एक प्रमाण पत्र (अनुलग्नक 3) निविदाकार द्वारा भरा जाना चाहिए। पूरा प्रमाण पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।

19. निविदाकार द्वारा अनुलग्नक 1 में उल्लेखित प्रारूप के अनुगार एक स्व-योग्यता काली मूची में दर्ज नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ १०० के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(स) निविदा खोलना और उसका मूल्यांकन:-

20. निविदाकर्ता किसी भी या गभी निविदाओं को परियोजना के गवोर्तम हित में समझे जाने वाले विचारों के आधार पर विना किसी कारण बताए, स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

21. निविदाकर्ता, प्राप्त तकनीकी और वाणिजिक निविदाओं की जांच और मूल्यांकन करने के लिए एक निविदा मूल्यांकन समिति (TEC) नियुक्त करेगा। निविदा मूल्यांकन समिति, निविदाओं की जांच करके यह निर्धारित करेगी कि वे पूर्ण एवं उत्तरदायी हैं और निविदा प्रारूप RFP निविदाकर्ता के अनुसार भौतिक विचलन का गठन नहीं करता है। [गैर-भौतिक विचलन छोटी-मोटी त्रुटियों या चूक को संदर्भित करता है जो निविदा की मुख्य आवश्यकताओं या मूल्यांकन प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित नहीं करती है, जैसे कि छोटी-मोटी लिपिकीय त्रुटियों या प्रारूप संबंधी मुद्दे।]

22. निविदाकर्ता केवल तकनीकी रूप से सफल निविदाकारों की विचारी निविदाएँ खोलेगा।

23. यदि कोई फर्म शून्य शुल्क/प्रतिफल उद्धृत करती है, तो निविदा को अनुत्तरदायी माना जाएगा और उस पर विचार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार, यदि समिति/बनमण्डलाधिकारी की राय में, निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत प्रतिफल या तो बहुत कम या बहुत अधिक है, तो उसे भी अस्वीकार किया जा सकता है।

24. यदि दो या अधिक निविदाकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत विचारी प्रस्ताव एक समान पाये जाते हैं, तो लॉटरी के माध्यम से निर्णय किया जाएगा।

25. कोई भी सर्वानुभव निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।

26. अंकगणितीय त्रुटियों वो निम्नलिखित आधार पर ठीक किया जाएगा: यदि इकाई मूल्य और कुल मूल्य के बीच कोई विसंगति है, जो आंकड़ों के बीच बोई विसंगति है, तो शब्दों में राशि मान्य होगी।

27. निविदाकर्ता किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने और अनुबंध करने से पहले किसी भी समय निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने और भीमी निविदाओं वो अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों के प्रति गूचित करने का बोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा तथा निविदाकर्ता की कार्यवाही के कारणों के बारे में प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों को

(द) अनुबंध का पुरस्कार:

28. सबसे कम दर उद्धृत करने वाली कर्म को निविदा दी जाएगी। यदि ऐसा होता है कि विभिन्न सामग्रियों के लिए प्राप्त न्यूनतम दरें अलग-अलग फर्मों से हैं, तो कार्य आदेश उन संबंधित फर्मों को जारी किए जाएंगे, जिनकी उत्तरवस्तुओं के लिए क्रमशः सबसे कम दरें हैं।

29. नियोन्ता मफल निविदाकारों को 'स्वीकृति पत्र' (एलओए) (अनुलग्नक 5) जारी करके सूचित करेगा कि उसकी निविदा स्वीकार कर ली गई है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने समय राफल निविदाकार वो शपथात्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

30. अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले, जिस निविदाकार वो स्वीकृति पत्र जारी किया गया है, उसे इस निविदा के लिए गुरुका जमा के रूप में अनुभाग ॥ "महत्वपूर्ण तिथियों/सामान्य जानकारी" पृष्ठ के क्रमांक 6 में निर्दिष्ट राशि जमा करनी होगी। निष्पादन सुरक्षा क्रियाशील शाखा वाले अनुसूचित बैंक (महकारी बैंकों को छोड़कर) से सावधि जमा रसीद (एफडीआर) या बैंक गारंटी के रूप में 'बनमण्डलाधिकारी, उत्तर वैतूल (मा०) बनमण्डल जिला वैतूल के पक्ष में जमा की जा सकती है। सावधि जमा रसीद (एफडीआर) या बैंक गारंटी की वैधता अनुबंध जाती है, तो नई निष्पादन सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होगी। हालांकि, यदि मूल निष्पादन सुरक्षा जमा वैधता की अवधि आवश्यक निर्दिष्ट तिथि के लिए बैंध है, तो उसे जारी रखा जा सकता है। निष्पादन सुरक्षा यह संतुष्ट होने पर वापस कर दी जाएगी कि अनुबंध के तहत निष्पादन सुरक्षा राशि की गणना मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम और सेवा उपार्जन नियम, 2015 (संशोधित-2022) के अनुरूप की जाएगी।

31. स्वीकृत निविदाकार प्रदाय आदेश दिनांक से 15 दिवस के भीतर सामग्री प्रदाय स्थल पर प्रदाय करना सुनिश्चित करें।

32. इस अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में या इस अनुबंध के अनुगार लागू किए भी दंड की चूक को विनामिल करने का अधिकार होगा। मंदेह से छुने के लिए, पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत है कि निष्पादन सुरक्षा में शामिल किए भी राशि के विनियोजन की आवश्यकता बाने किए भी चूक की स्थिति में, निविदाकर्ता सफल निविदाकार को देय किए भी बाद के भुगतान से कटी जाएगी। जैसे कि वह इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुगार निष्पादन सुरक्षा को विनियोजित कर रहा है। निष्पादन सुरक्षा को लागू करने के कारणों में नीचे दी गई शर्तें शामिल हैं,

लेकिन इन्हीं तक भीमित नहीं हैं:-

I. निविदाकार सामग्री देने में गक्षम नहीं है या निविदाकार ने ऐसी सामग्री प्रदाय की है जो गमिति / बनमण्डलाधिकारी की राय में आवश्यक गुणवत्ता मानक को पूरा नहीं करती है और इसलिए निरीक्षण के दौरान उगे अस्वीकार कर दिया गया है।

II. निविदाकार या उसका कर्मचारी निविदाकर्ता के साथ अपने जुड़ाव के दौरान किए भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल है।

III. यदि निविदाकार लगातार तीन बार, निविदाकर्ता या उनके प्रतिनिधि द्वारा उठाई गई आवश्यकताओं के प्रति गैर-उत्तरदायी है।

IV. निविदाकार समय पर बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है।

33. यदि सफल निविदाकार द्वारा निविदा शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो जमा की गई सत्यांकार राशि एवं निष्पादन सुरक्षा राशि जम्म करने के साथ 5 वर्ष के लिए काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जा सकती।

34. स्वीकृत निविदाकार द्वारा सामग्री की आपूर्ति निर्धारित समय में शुरू/पूरी नहीं की जाती है, तो निविदाकर्ता को अन्य निविदाकारों से L-2, L-3 आदि के क्रम में निविदा दर पर सामग्री का शेष भाग खरीदने की स्वतंत्रता होती।

36. अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर

35.1 सफल निविदाकार वो निष्पादन सुरक्षा और अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा, यदि कोई हो, प्रस्तुत करनी होगी और स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। अनुबंध समझौते का प्रारूप अनुलग्न 7 में दिया गया है।

36.2 अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर को सामग्री की आपूर्ति शुरू होने की सूचना के रूप में माना जाएगा। काम शुरू करने के लिए निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को आम तौर पर कोई अलग आपूर्ति आदेश जारी नहीं किया जाएगा।

35.3 सफल निविदाकार द्वारा निष्पादन सुरक्षा, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने या अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने में विफल रहने की तिथि में, निविदाकार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निविदाकर्ता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभावडाले विना उसकी सत्यांकार की राशि (ईएमडी) जब्त कर ली जाएगी।

36. निविदाकर्ता, इस अनुबंध और लागू कानून के तहत किसी भी अन्य उपाय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, सफल निविदाकार को चूक का कारण बताते हुए 30 दिनों का लिखित नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और जैसा वह उचित समझे,

37. अनुबंध भारत में प्रचलित और लागू कानूनों द्वारा निर्धारित कानूनों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित होगा, ऐसे वाणिज्यिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

ई. अन्य नियम और शर्तें

38. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत निविदा का विगत तीन वित्तीय वर्षों का टर्नओवर सामग्रीवार अनुमानित मूल्य का 2 गुना रूपये होना अनिवार्य है।

39. सामग्री का तम्पूर्ण प्रदाय बनमंडल कार्यालय द्वारा आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

40. निविदा की गई मात्रा अनुमानित है जिसे निविदाकर्ता द्वारा आवश्यकतामुसार बिना किए पूर्व सूचना के बड़ाया या घटाया जा सकेंगा।

41. सभी निविदाकार तकनीकी निविदा खोलने की नियत तिथि से 48 घंटे पूर्व निविदा सामग्री का सेम्प्ल बनमंडल कार्यालय में जमा कर पावती लेना मुनिश्वित करेंगे। नियत तिथि तक निविदा सामग्री सेम्प्ल जमा न होने की स्थिति में निविदा मान्य नहीं होगी।

44. निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है यदि वे निविदा दस्तावेज, नियम और शर्तों और शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) में माने गए किसी भी प्रमाण पत्र/दस्तावेज को अपलोड नहीं करते हैं।

44.1 यदि निविदा की वैधता अवधिके भीतर यह पाया जाता है कि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत/अपलोड किए गए दस्तावेजों में से कोई या कुछ झूटे या धोखाधड़ी वाले हैं, तो निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है। ऐसेमाले में निविदाकार का समझौता रद्द किया जा सकता है, जिसके बाद निविदाकार की सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा जब्त की जा सकती है।

44.2 यदि सामग्री की आपूर्ति निर्धारित गमय में शुरू/पूरी नहीं की जाती है, तो निविदाकार का अनुबंध रद्द किया जा सकता है, जिसके समय वीत जाने के बाद भी सामग्री की आपूर्ति अधूरी रहती है, तो निविदाकर्ता को अन्य स्रोतों से सामग्री का शेष भाग खरीदने की स्वतंत्रता मान्योजित की जाएगी। यदि यह अतिरिक्त राशि सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा से अधिक है, तो सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी।

44.3 निविदाकार द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की मात्रा निविदा दस्तावेज में उल्लेखित मात्रा के अनुसार अधिक या कम दोनों तरफ भिन्न हो सकती है। निविदाकार निविदाकर्ता की बदलती आवश्यकता के अनुगार सामग्री की आपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा।

45. इस निविदा सूचना या जारी किए गए कार्य आदेश में जिन प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया गया है, उनके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार निविदाकर्ता के पास होगा।

अनुलग्नक - 1

प्रारूप: स्वधोपणा - काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र

Rs. 100 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है।

भेजा में,
वनस्पति अधिकारी

दिनांक: //

जिला -----मंग्रे.

महोदय/महोदया,
दिनांकके निविदा संदर्भ संघर्षा.....के
प्रत्युत्तर में,के स्वामी/भागीदार/
निदेशक के रूप में, मैं/हम धोपणा करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी/फर्म,का रिकार्ड बेदाग है
तथा उसे किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अनिश्चित काल के लिए या किसी विशेष अवधि के लिए भ्रष्ट और
धोखाधड़ीपूर्ण कार्यों के लिए अयोग्य धोषित नहीं किया गया है।

हम आगे धोपणा करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी/फर्म.....

निविदा प्रस्तुत करने की तिथि पर किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भ्रष्ट और धोखाधड़ीपूर्ण अवहार के अलावा
अन्य कारणों से काली सूची में नहीं डाली गई है और न ही अयोग्य धोषित की गई है।

यदि यह धोपणा गलत पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति पूर्णतः जब्त कर ली
जाएगी तथा निविदा, यदि कोई हो, को स्वीकार की गई सीमा तक रद्द कर दिया जाएगा।

आपका धन्यवाद,

निविदाकार का नाम:

अधिकृत हमनाकारकर्ता: -

संगठन की मुहर: -

दिनांक:

स्थान

अनुलग्नक - 2

प्रारूपः निविदा में भाग नेने वाले व्यक्ति / कर्म का विवरण स्वधीयणा

1. निविदाकार / कर्म का नाम : _____
2. पिता का नाम : _____
3. स्थायी पता मकान क्रमांक : _____
गाली क्रमांक : _____
स्थान : _____
4. कार्यालय का पता : _____
गाली क्रमांक : _____
स्थान : _____
जिला : _____ पिन कोड _____
5. सत्याकार राशि (ई.एम.डी.) का विवरण प्रकार - एफ.डी.आर / बैंक गारंटी / _____
संख्या दिनांक _____
राशि _____
बैंक का नाम _____
6. जी.एम.टी. नम्बर _____

निविदाकार के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं, _____
पिता/पति _____

घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोच्च ज्ञान के अनुगार गही है। यदि उपरोक्त जानकारी में कोई विरामगति पाई जाती है, तो उम्मेके लिए मैं पूरी तरह जिम्मेदार रहूँगा। मैंने निविदा दस्तावेज़ की सभी शर्तों, नियमों और आवश्यकताओं को पढ़ और समझ लिया है और उनका पालन करने की शपथ सेता हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

अनुलग्नक-3

प्रारूपः रामचंद्री प्रदाय क्षेत्र घ्रामण प्रमाण पत्र

मैं/हम जानता हूँ / जानने हैं
कि रामचंद्री की आपूर्ति का दायरा बनमण्डल का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र होगा। मैं/हम
..... बनमण्डल के अंदर किसी भी दिग् गण स्थान पर आपूर्ति करने के लिए सहमत हैं।
मुझे/हमें क्षेत्र, प्रकार, स्तर, दूरी आदि के बारे में कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने/हम ने काम/आपूर्ति स्थान का पूरी तरह से निरीक्षण किया है और निविदा के लिए आवेदन करने से पहले कार्य स्थलों के बारे में पूरी तरह से
संतुष्ट हैं और सभी कार्य स्थितियों को समझते हैं।

निविदाकार के हस्ताक्षर

अनुलग्नक-4
पूर्व-योग्यता मापदंड

निविदाकार के पास होना चाहिए:

1. (विभी भी केंद्रीय/राज्य सरकार संगठन/विभाग/पीएमयू/सार्वजनिक मूनीवद्द कंपनी में) सफलतापूर्वक निष्पादित करने का अनुभव:
क.) तीन समान कार्य जिनके लिए निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है, जिनमें से प्रत्येक की लागत पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान उन वस्तुओं की संभावित राशि के 20% के बराबर राशि से कम नहीं है जिनके लिए निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है;

या

- ख.) दो समान कार्य जिनके लिए निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है, जिनमें से प्रत्येक की लागत पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान उन वस्तुओं की संभावित राशि के 30% के बराबर राशि से कम नहीं है जिनके लिए निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है;

या

- ग.) एक समान कार्य जिसकी कुल लागत पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान उन वस्तुओं की संभावित राशि के 50% के बराबर राशि से कम नहीं है जिनके लिए निविदा दी गई है; अथवा

- घ.) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किसी एक वित्तीय वर्ष में वन विभाग, म.प्र. में समान मदों का कार्य निष्पादित किया गया हो जो निविदाकार द्वारा दी गई निविदा के मदों की संभावित राशि के 30% के बराबर राशि से कम नहीं होना चाहिए।

- ii. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निविदाकार का औसत वार्षिक कारोबार निविदाकार द्वारा दी गई निविदा के मदों की संभावित राशि के दोगुने से कम नहीं होना चाहिए।

संयुक्त उद्यम के मामले में, कम कारोबार वाली फर्म के कारोबार को उपर्युक्त खंड (ii) के तहत मूल्यांकन के लिए माना जाएगा। यदि निविदाकार के गठन/निर्गमन की तारीख तीन वर्ष से कम पुरानी है, तो गठन की तारीख के बाद पूरे हुए वित्तीय वर्षों के संबंध में औसत वारोबार को इन मापदंड के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

अनुलग्नक 5

स्वीकृति पत्र क्रमांक

क्र.

दिनांक

प्रति,

मेमर्स.....

(निविदाकार का नाम और पता)

विषय:

-XOX-

प्रिय श्री,

उपरोक्त कार्य के लिए आपकी बोली मध्य प्रदेश के राज्यपाल की ओर से मात्रा दिल और उसमें दी गई भद्रार दरों के बराबर स्वीकार कर दी गई है। सामग्री का विवरण निम्नानुसार है। -

क्र. सं	सामग्री का नाम और विवरण	खरीदी जाने वाली मात्रा	स्वीकृत दर (रुपये में)
1	2	3	4

आप इस पत्र के जारी होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें:

क. रुपये (रुपये, (आँकड़ों में) की निष्पादन सुरक्षा/ निष्पादन गारंटी (रुपये केवल शब्दों में)। निष्पादन सुरक्षा किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित वाणिज्यिक वैक की सावधि जमा/वैक गारंटी की रसीद के रूप में होगी जो वस्तुओं की आपूर्ति के तीन महीने बाद तक वैध होगी, के नाम पर प्रतिज्ञा।

ख. अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करें।

भवदीय

अगुलपक 6

संयुक्त उद्यम (जांहट वेंकर)

यदि संयुक्त उद्यम की अनुमति दी जाए है तो निम्नलिखित शर्तों और आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए:

१. भागीदार के रूप में दो या अधिक फर्मों के संयुक्त उद्यम द्वारा प्रस्तुत निविदा/निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेंगी;
 २. भागीदारों में से एक या प्रमुख भागीदार के रूप में नाप्रति किया जाएगा, और इस प्राधिकरण को सभी भागीदारों के कानूनी रूप में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित मुख्तारतामा प्रस्तुत करके प्रमाणित किया जाएगा;
 ३. निविदा और, गफल निविदा के मामले में, गमालीते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ताकि यह सभी भागीदारों पर कानूनी रूप में बाध्यकारी हो;
 ४. प्रभारी भागीदार यो संयुक्त उद्यम के लिए भी और सभी भागीदारों के लिए और उनकी ओर से देवताओं को बहन करने और निर्देश प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जाएगा और शुभतान रहित अनुबंध का पूरा निष्पादन विशेष रूप से प्रभारी भागीदार के साथ किया जाएगा;
 ५. संयुक्त उद्यम के सभी भागीदार अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंध के निष्पादन के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे, और इस आशय का एक वर्तन ऊपर [गी] के तहत उल्लिखित प्राधिकरण में शामिल किया जाएगा, साथ ही निविदा में और अनुबंध में [गफल निविदा के मामले में];
 ६. संयुक्त उद्यम समझौते में योजना और निष्पादन के संबंध में संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। अनुबंध की अवधि के दौरान संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की निष्पादन में सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। निविदाकर्ता की पूर्व स्वीकृति के बिना इसे बाद में बदला/संशोधित नहीं किया जाना चाहिए;
 ७. संयुक्त उद्यम समझौते को पंजीकृत किया जाना चाहिए, ताकि यह कानूनी रूप से वैध हो और सभी भागीदारों पर बाध्यकारी हो; और
 ८. भागीदारों द्वारा किए गए संयुक्त उद्यम समझौते की एक प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
२. निविदा के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता मानदंडों के साथ निविदाकार निष्पादन को निर्धारित करने के लिए संयुक्त उद्यम के प्रत्येक भागीदार के आंकड़े एक साथ जोड़े जाएंगे। सभी भागीदारों को सामूहिक रूप से निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा। इस आवश्यकता का निष्पादन करने में विफलता के परिणाम स्वरूप संयुक्त उद्यम की निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
 ३. संयुक्त उद्यम की निष्पादन गुरुका साझेदार प्रमुख साझेदार/ संयुक्त उद्यम के नाम पर होगी।
 ४. संयुक्त उद्यम की ओर से निविदा हस्ताक्षरकर्ता (यों) को अधिकृत करने वाले साझेदारों की पावर ऑफ अटॉर्नी संलग्न करें।
 ५. संयुक्त उद्यम के सभी साझेदारों के बीच हुए समझौते को संलग्न करें (और जो सभी साझेदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, जो निविदाकर्ता के लिए निर्देशों में दर्शाई गई आवश्यकताओं को दर्शाता है)।
 ६. संयुक्त उद्यम में भागीदारी का विवरण नीचे दिए अनुसार प्रस्तुत करें;

क्रमांक	भागीदारी विवरण	फर्म "ए" (प्रमुख भागीदार)	फर्म "बी"	फर्म "सी"
---------	----------------	---------------------------	-----------	-----------

अनुलग्नक ७

अनुबंध प्रणाली

अनुबंध

यह अनुबंध, दिनांक..... वनमण्डल अधिकारी..... जिला
 (म.प्र.) (निविदाकर्ता का नाम और पता) (जिसे आगे "निविदाकर्ता" कहा जाएगा) और मेसर्स
 (निविदाकार का नाम और पता) (जिसे आगे "निविदाकार" कहा जाएगा, के बीच दूसरे पक्ष के
 लिए किया गया है।

जबकि निविदाकर्ता चाहता है कि निविदाकार वनमण्डल अधिकारी, म.प्र.
 (अनुबंध वा नाम और पहचानसंख्या) (जिसे आगे "कार्य" कहा जाएगा) द्वारा मात्रा के विल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की
 आपूर्ति निष्पादित बने और निविदाकर्ता ने निविदाकार द्वारा मात्रा के विल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति के लिए बोनी को
 स्वीकार कर लिया है।

जब यह अनुबंध इस प्रकार प्रमाणित होता है:

1. इस अनुबंध में, शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अनुबंध की शर्तों में क्रमशः निर्दिष्ट किया गया है और उन्हें इस अनुबंध के भाग के रूप में पड़ा और समझा जाएगा।
2. निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को किए जाने वाले भुगतानों के विचार में, जैसा कि आगे उल्लेख किया गया है, निविदाकार अनुबंध के प्रावधानों के साथ सभी पहलुओं में अनुरूपता में कार्य निष्पादित और पूरा करने के लिए निविदाकर्ता के साथ अनुबंध करता है।
3. निविदाकर्ता अनुबंध के प्रावधानों के तहत अनुबंध मूल्य या ऐसी अन्य राशि जो अनुबंध द्वारा निर्धारित समय और तरीके से देय हो सकती है, के निष्पादन और पूरा होने के विचार में निविदाकार को भुगतान करने के लिए अनुबंध करता है।
4. निम्नलिखित दस्तावेजों को इस अनुबंध के भाग के रूप में तैयार और समझा जाएगा अर्थात्

 - i. स्वीकृति पत्र
 - ii. निविदाकारों को निर्देश
 - iii. अनुलग्नक १ से ३
 - iv. विल की मात्रा (BOQ) और
 - v. निविदा दस्तावेज़ में सूचीबद्ध कोई अन्य दस्तावेज़ जो अनुबंध का हिस्सा है।

जिसके माध्य में पक्षकारों ने इस समझौते को लिखित रूप से पहले दिन और वर्ष में निष्पादित किया है।
 सामान्य मुहर

उपस्थिति में लगाई गई धी: इस पर निम्नलिखित की

उक्त

मुहरबंद और परिदृश्य द्वारा हस्ताक्षरित,
 वनमण्डल अधिकारी उपस्थिति में:

वनमण्डल अधिकारी

..... (म०प्र०) निविदाकार के बाध्यकारी हस्ताक्षर